THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Now, the question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2006-07 for the purposes of Railways, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को लौटाया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Now, Shri Suresh Pachouri to move the motion for suspension of rule 272.

MOTION FOR SUSPENSION OF RULE 272

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): Sir, on behalf of my senior colleague, Shri Priyaranjan Dasmunsi, I beg to move the following Motion:-

"That Rule 272 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States in its application to consideration of the Demands for Grants of the related Ministries/Departments for 2006-07 by Department-related Standing Committees be suspended."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Hon. Members, the next item is Special Mentions. It is suggested that the Special Mentions will be taken up after the lunch break. If the House so agrees or rather do I

have the consent of the House to request Shrimati Prema Cariappa to Chair the House immediately after the lunch break?

SOME HON. MEMBERS: Yes; Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Now, the House is adjourned for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty-three minutes past one of the clock.

The House re-assembled, after lunch, at thirty-four minutes past two of the clock,

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PREMA CARIAPPA) in the Chair]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PREMA CARIAPPA): We shall now take up Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

Demand for grant of status of independent bank for State Bank of Indore

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर को भारतीय स्टेट बैंक से अलग करके सार्वजनिक क्षेत्र के स्वतंत्र बैंक बनाने की मॉग मध्य प्रदेशवासियों द्वारा होती रही है एवं यह आवश्यक भी है। प्रदेश के विकास को गति देने के लिए एक ऐसी बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसकी जड़ें प्रदेश में हों एवं जो भावनात्मक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्रदेश से जुड़ी हुई हो। वही कारगर सिद्ध होगी। स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर में ये सभी खूबियॉं हैं।

ज्ञातव्य है कि तत्कालीन होल्कर रियासत के महाराज होल्कर द्वारा 23.3.1920 को इन्दौर बैंक लि. के रूप मे स्थापित भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम के लागू होने के पश्चात् इसे भारतीय स्टेट बैंक के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में लाया गया। सहयोगी बैंक अधिनियम को लागू करने तथा इन बैंकों के अधिग्रहण के पीछे उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग संजाल का विस्तार तथा कृषि साख में वृद्धि तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों से सामाजिक बैंकिंग के लिए आवश्यक योग्यता का विकास मात्र था। सार्वजनिक क्षेत्र का यह एकमात्र बैंक है, जिसका मुख्यालय मध्य प्रदेश (इन्दौर) मे है।

उक्त सभी आयामों पर विचार करते हुए यह आवश्यक है कि स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से असंबद्ध कर सार्वजनिक क्षेत्र के स्वायत्त व स्वतंत्र बैंक का दर्जा दिया जाए। मध्य प्रदेशवासियों की इस मॉग को प्रदेश के विकास के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बीमारू राज्य में वर्गीकृत इस राज्य को एक ऐसे बैंकिंग संजाल की आवश्यकता है, जो पूरी तरह राज्य के विकास हेतु समर्पित हो। स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर 86 वर्षों की लम्बी यात्रा के बाद अबाध लाभप्रदता के रिकार्ड के साथ कसौटी पर खड़ा है। चूँकि इस बैंक की 85 प्रतिशत शाखाऍं मध्य प्रदेश में ही है एवं वित्तीय स्थिति भी काफी मजबूत (सर्वाधिक) है, इसलिए इसे